परियोजना का नामः- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रा०रू०-25

राष्ट्रीय पार्क से दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित पेयजल योजना की राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी लगभग 10 कि0मी0 है। इस पेयजल योजना के निर्माण से वन्य जीवों को कोई क्षति नहीं पहुचेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निग़म, चम्बा, टि0गढ0।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि0गढ0।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रा0
नई टिहरी

परियोजना का नाम :– चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 आरक्षित वन/सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

प्रारुप–25

प्रस्तावित स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है। प्रस्तावित स्थल के समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य राजाजी नेशनल पार्क है जिससे प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी 10.00 किमी0 से अधिक है।

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

परियोजना का नामः- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप–26

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संल्गन किया जाना होगा।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

परियोजना का नामः- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप–27

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रोड
नई दिल्ली